

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- कप्तानगंजगम्भीरपूर रूप से मारपीट कर घायल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण- दिनांक 20.06.2022 को वादिनी मुकदमा बबली गुप्ता पुत्री कान्ता गुप्ता निवासी मोलनापुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि आरोपी द्वारा वादिनी के साथ छेड़खानी करना मारना पीटना चौकी तोड़ देना व मार पीट कर दांत तोड़ देना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल किया कि दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 188/22 धारा 323/354/506/427/325 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कराया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 20.06.2022 को उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में थाना हाजा से रवाना होकर ग्राम मोलनापुर पहुंचा जहां पर वादिनी मुकदमा की तलाश की गयी परिजनो द्वारा बताया गया कि मेडिकल कराने हेतु थाने पर गयी है। वादिनी मुकदमा के घर के आस पास के लोगो द्वारा आरोपी बुकाली उर्फ शशिप्रकाश सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी पासीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर किये गये इस कृत्य को लेकर गांव में काफी आक्रोशित है। गांव वालो द्वारा बताया गया कि कल जब वह वादिनी के घर आया था तो आक्रोशित लोगो द्वारा अभियुक्त बुकाली उर्फ शशिप्रकाश को काफी मारा पीटा गया था। कुछ देर बाद 112 नम्बर की गाड़ी आयी और शशिप्रकाश सिंह को किसी तरह बचाकर यहां से ले गयी। अभियुक्त उपरोक्त जो पहले से थाना स्थानीय पर रपट नं0 31 समय 17.35 बजे दिनांक 20.06.2022 को PRV द्वारा दाखिल किया गया है को अभियोग उपरोक्त में कारण गिरफ्तारी बताते हुये समय 12.00 बजे बकायदा वजाफ्ता हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के भाई ओमप्रकाश सिंह को दी गयी।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 188/22 धारा 323/354/506/427/325 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बुकाली उर्फ शशिप्रकाश सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी पासीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती थाना कप्तानगंज आजमगढ़

2. का0 रवि कुमार थाना कप्तानगंज आजमगढ़

थाना कोतवालीचोरी की 60 शीशी सीरप के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, 01 मोटरसाइकिल सीज

दिनांक 20.6.22 को उ.नि. विजय प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मु.अ.स. 281/22 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक पाठक पुत्र स्व0 अवधेश पाठक निवासी शिवनगर कालोनी पहाड़गंज थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या जिन्हें नागेन्द्र पाण्डेय (वादी) व अन्य के द्वारा समय 22.20 बजे बड़देव मंदिर मेडिसिन मार्ट मातवरगंज से थाने पर लाया गया था, को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली पर वादी मुकदमा नागेन्द्र पाण्डेय की लिखित सूचना कि वादी मुकदमा की दवा की पेट्टी को तिरुपति कैरियर से मेडिसिन मार्ट मातवरगंज ले जाते समय अभियुक्त द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. विजय प्रताप सिंह द्वारा किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु.अ.स. 281/22 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

अशोक पाठक पुत्र स्व० अवधेश कुमार पाठक साकिन शिवनगर कालोनी पहाड़गंज थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या बरामदगी -

चोरी की एक अदद गत्ता जिसमें 60 ml की 60 अदद नो ब्लाक सीरप बैच नं० C6BEU005

207 एमवी एक्ट में एक अदद मोटर साईकिल *PASSION X PRO NO.UP 42 AU9107* सीज

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ०नि० विजय प्रताप सिंह चौकी प्रभारी एलवल का० राजकुमार यादव थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

### थाना-निजामाबाद

#### हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 20.06.22 को वादिनी गुलफशा पत्नी परवेज आलम निवासीनी जाफरपुर पखियाना थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि मेरी मां सरवरी बेगम पत्नी नूरमोहम्मद शाह को विपक्षी बदरुद्दीन पुत्र मो० नसीरुद्दीन निवासी मुहल्ला भदौनी नवादा थाना बुंदेलखंड जनपद नवादा बिहार हाल निवासी काशीराम आवास कमरा नं० 170 ब्लाक नं 40 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा एक धारदार हथियार चाकू से जान से मारने की नियत से हमला कर देना जिससे काफी गहरी चोटे आयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 249/22 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में घटना में प्रयोग किये गये बरामदशुदा छूरी के आधार पर धारा 4 /25 शस्त्र अधिनियम की बढोत्तरी की गई।

2. गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक-21.06.2022 को व०उ०नि० शमशाद अली मय हमराही बाद करने बयान मजरुबा के वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आरटीओ कार्यालय के पास पहुंचे ही थे कि सूचना मिली मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बदरुद्दीन पुत्र मो० नसीरुद्दीन निवासी मुहल्ला भदौनी नवादा थाना बुंदेलखंड जनपद नवादा बिहार हाल निवासी काशीराम आवास कमरा नं० 170 ब्लाक नं 40 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करके व०उ०नि० मय पुलिस बल के अभियुक्त के घर पहुंचे तो अभियुक्त घर पर मौजूद मिला जिसे पुलिस बल द्वारा कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त की निशांदाही पर घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त छूरी बरामद किया गया ।

पंजीकृत अभियोग –

मु०अ०सं० 249/22 धारा 307 भादवि व धारा 4 /25 शस्त्र अधिनियम थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- बदरुद्दीन पुत्र मो० नसीरुद्दीन निवासी मुहल्ला भदौनी नवादा थाना बुंदेलखंड जनपद नवादा बिहार हाल निवासी काशीराम आवास कमरा नं० 170 ब्लाक नं 40 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

बरामदगी- एक अदद छूरी (घटना प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. व०उ०नि० शमशाद अली थाना निजामाबाद आजमगढ़

2. का० शंकर खरवार थाना निजामाबाद आजमगढ़

3. का० सतीश कुमार थाना निजामाबाद आजमगढ़

### थाना- पवई

#### एक राशि बछिया, एक चाकू व एक चापड़ के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.6.2022 को उ०नि० अमरनाथ पाण्डेय मय हमराह उ०नि० योगेन्द्र प्रसाद ,द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/बाहन रात्रि गश्त मे पवई कस्बा मे मौजूद थे कि सूचना मिली कि 5 व्यक्ति एक बछिया को ग्राम

शाहमर्दानपुर पोखरा के पास सिवान मे खूटा गाड़कर व मुह व पैर बाँध कर उसका वध करने हेतु मौजूद है, SI मय हमराह द्वारा मौके पर पहुँचकर 5 व्यक्ति व बगल मे खुटे से बधी एक बछिया दिखायी दी कि लिस वालो को देखते ही बछिया के पास बैठे व्यक्ति उठकर भागने लगे जिसमे से एक व्यक्ति को हमराही कर्मचारीगण की मदद से दौड़ाकर पकड़ लिया गया जबकि शेष व्यक्ति अंधेरे व सिवान का फायदा उठाकर भागने मे सफल हो गये । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पुछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो अपना नाम दिलशाद पुत्र स्व0 आस मोहम्मद शाह उम्र करीब 28 वर्ष ग्राम कस्बा रक्बा पवई थाना पवई जनपद आजमगढ़ बताया जिसके दाहिने हाथ मे लिये एक झोले से एक अदद छूरी व एक अदद चापड़ बरामद हुआ उपरोक्त अभियुक्त को समय करीब 4.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । तथा थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 179/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 179/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:—

दिलशाद पुत्र स्व0 आस मोहम्मद शाह ग्राम कस्बा रक्बा पवई थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1.उ0नि0 अमरनाथ पाण्डेय उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद. का0 मुकेश सिंह , का0 केशर यादव का0 सचिन यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़

### प्रेस नोट

#### थाना दीदारगंज

### लोक सभा उपचुनाव 2022 व आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चेकिंग के दौरान 01 लाख रूपये व पौने 02 किलो ग्राम चांदी बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में चलाये जा रहें अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.06.22 को थानाध्यक्ष दीदारगंज कौशल कुमार पाठक मय हमराह हे0का0 शिवप्रकाश यादव का0 अनुप कुमार का0 सत्येन्द्र प्रजापति म0का0 अनीता मौर्या द्वारा आगामी लोक सभा उपचुनाव के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग सुघरपुर पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान मारुति आल्टो कार नम्बर UP62AR2333 को चेक किया गया तो उसमें एक किलो 715 ग्राम पुरानी चांदी व 01 लाख रुपया बरामद हुआ। मारुति आल्टो में बैठे दोनों व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछा गया तो एक व्यक्ति ने अपना नाम शिवम S/O मुन्ना लाल मुहला सीरीन बाई चाल कुर्ला मुम्बई तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पंकज सोनी S/O दिनेश सोनी ग्राम निवाउज थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ बताया। पंकज सोनी के बैग को खोलकर चेक किया गया तो बैग में एक लाख रूपया(पांच सौ की 200 नोट) दी के टूटे फूटे पुराने आभूषण मिले। आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान लेकर चलने का कारण पूछा गया तो कोई उचित कारण नहीं बताया जा सका ना ही कोई कागजात दिखाया गया। अन्य कार्यवाही की जा रही है।